न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **237/2020** दायर दिनाँक **11.09.2020**

वादी		प्रतिवादीगण
1. विनोद कुमार पुत्र रामपाल जाति ब्राहाम्ण उम्र 48 वर्ष निवासी सुद्रासन तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. बनवारीलाल पुत्र रामपाल 2. सुनिल कुमार पुत्र ओंकारमल 3. अरूण कुमार दत्तक पुत्र पुरूषोतम 4. मदनलाल पुत्र महादेव 5. पवन पुत्र रामगोपाल 6. सम्पत कुमार रामगोपाल 7. बंकटलाल पुत्र रामगोपाल 8. शशि कुमार पुत्र रामगोपाल 9. मीना पुत्री रामगोपाल 10. शकुन्तला पत्नि रामगोपाल 11. ब्रजमोहन पुत्र मांगीलाल 12. ताराचन्द पुत्र मांगीलाल 13. जयप्रकाश पुत्र मांगीलाल समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 14. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी।
2. श्री कमलेश कुमार वकील प्रतिवादी संख्या 01 ता 13।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **11.08.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 1050 रकबा 1.1700 हैक्टर, खसरा सं0 1051 रकबा 0.20000 हैक्टर, खसरा सं0 103 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा सं0 1054 रकबा 1.0600 हैक्टर कुल 2.5500 हैक्टर तथा खेत खसरा संख्या 184 रकबा 1.2100 हैक्टर, खसरा सं0 185 रकबा 1.4400 हैक्टर वाके शरहद सुद्रासन स्थित है

यह है कि स्वर्गीय शिवनारयण के पांच पुत्र थे तथा पांचों का ही स्वर्गवास हो गया है। तथा रामेश्वर आज से करीब 50–60 वर्ष पूर्व ही अपने हिस्से की भूमि अपने भाई के लड़के रामपाल को सौप कर जसवंतगढ़ चले गये थे तथा ग्राम सुद्रासन की भूमि से उनको कोई सरोकार नही रहा है तथा मात्र गलती से राजस्व रेकर्ड में नाम द[illegible] तथा स्वर्गीय भागीरथ स्वर्गीय शिवनारायण के भाई धन्ना के वर्षो पूर्व ही गोद चला [illegible] भागीरथ के पुत्र मांगीलाल व मांगीलाल के वा[illegible] के अन्य खेत खसरा संख्या 97 व 10[illegible] से अलग खातेदारी में दर्ज है। इन खेतो [illegible] नही नही है। इनकी खातेदारी यथावत रहेगी। तथा स्वर्गीय गणपत ने [illegible] हिस्से की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:04:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

का बेचाण स्वर्गीय महादेव को कर दिया था, तथा इनके वारिसान के नाम से खातेदारी भी दर्ज हो गयी। तथा क्रय सुदा भूमि पर महादेव के वारीसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। स्वर्गीय गणपतराम द्वारा वर्षो पूर्व अपना हिस्सा स्वर्गीय महादेव को बेच देने के कारण गणपत व उसके वारीसान की खातेदारी नही रही है। इस प्रकार खेतो पर कब्जा काश्त स्वर्गीय महादेव व स्वर्गीय बद्रीनारायण के वारीसान का है। यह है कि वादी व प्रतिवादीगण ने आज से करीब 30 वर्ष पूर्व ही उक्त खेतो का मौखिक रूप से बंटवारा कर लिया था जिसके अनुसार पक्षकारान अपने अपने बंट में आये हिस्सो पर अबाध रूप से चले आ रहे है।

पक्षकारान का आपस में किया गया बंटवारा इस प्रकार है–

(क) वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 बनवारीलाल के बंट व कब्जा काश्त के खेत खसरा संख्या 1054 रकबा 1.0600 हैक्टर में से उत्तरी 0.4942 हैक्टर तथा खसरा संख्या 1053 रकबा 0.1200 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 184 रकबा 1.2100 हैक्टर में से पश्चिमी 0.6600 हैक्टर कुल रकबा 1.2742 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 के बंट में आया।

(ख) प्रतिवादी संख्या 02 सुनिल के बंट व कब्जा काश्त की भूमि – खेत खसरा संख्या 1054 रकबा 1.0600 हैक्टर में से दक्षिणी हिस्सा 0.5658 हैक्टर, खसरा संख्या 1051 रकबा 0.20000 हैक्टर में से उत्तरी 0.0485 हैक्टर तथा खसरा संख्या 185 रकबा 1.4400 हैक्टर में से पश्चिमी 0. 1100 हैक्टर तथा खसरा संख्या 184 रकबा 1.2100 हैक्टर में से 0.5500 हैक्टर पूर्वी कुल रकबा 1.2743 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 02 के बंट मे आया।

(ग) प्रतिवादी संख्या 03 अरूण कुमार के बंट व कब्जा काश्त का खेत – खसरा संख्या 1050 रकबा 1.1700 हैक्टर में से उत्तरी 0.4088 हैक्टर।

(घ) मदनलाल के बंट व कब्जा काश्त के खेत – खसरा संख्या 1050 रकबा 1.1700 हैक्टर में से उत्तरी 0.3504 हैक्टर, खसरा संख्या 1051 रकबा 0. 20000 हैक्टर में से पश्चिमी 0.0566 हैक्टर कुल रकबा 0.4090 हैक्टर भूमि बंट में आयी।

(ड़) प्रतिवादी नम्बर 05 ता 10 के बंट व कब्जा काश्त के खेत – खसरा संख्या 1050 रकबा 1.1700 हैक्टर में से दक्षिणी पूर्वी 0.4088 हैक्टर।

(च) प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 के बंट में खेत खसरा 1051 रकबा 0.20000 हैक्टर में से पूर्वी दक्षिणी 0.0971 हैक्टर आयी जिसे ये लोग बाड़ा के रूप में काम में लेते है। तथा इनके बंट में दुसरे खेत आ जाने से इन खेतो में इनका हिस्सा नही रहा। क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 11 ता 13 के पिता स्वर्गीय मांगीलाल के बंट में खसरा संख्या 101 रकबा 2.5700 हैक्टर आया हुआ है। जिसकी खातेदारी अकेले के नाम से है। जिससे वादी को कोई लेना देना नही है। तथा उसकी खातेदारी यथावत रहेगी।उक्त बंटवारे को वादी ने अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है, जो वाद का भाग है नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है। उक्त खातेदारी में से रामेश्वर की मृत्यु हो जाने से उसक[illegible] उसकी जगह वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 [illegible] घोषणा की जानी कानुन सम्मत है। उक्त [illegible] था। और उसी बंटवारे [illegible] अपने हिस्सों में आये खेतो पर [illegible] योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रहना पड़ रहा है। इसलिये वादी [illegible] बंट व कब्जा काश्त व हक हिस्से की भूमि अपने नाम से अलग करवाने का कानूनन हकदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:04:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

है। अतः वादी को दावा बाबत घोषणा खातेदारी बंटवारा व रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

यह है कि प्रार्थना वादी इस प्रकार है–

यह है कि खेत खसरा संख्या 1050 रकबा 1.1700 हैक्टर, खसरा संख्या 1051 रकबा 0.20000 हैक्टर, खसरा संख्या 1053 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा संख्या 1054 रकबा 1.0600 हैक्टर, खसरा संख्या 184 रकबा 1. 2100 हैक्टर व खसरा संख्या 185 रकबा 1.4400 हैक्टर वाके सुद्रासन का कानूनी रूप से बंटवारा किया जाकर उपरोक्त वर्णितानुसार व नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार किया जाकर वादी की अलग खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जावें। तथा मृतक रामेश्वर का नाम खातेदारी से हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी ने अपना शपथ–पत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 ने स्वयं अदालत में हाजिर होकर जरिये अधिवक्ता ईकबाली जबाब पेश किया,

रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा यह है कि मौजा सुद्रासन के खेत खसरा संख्या 1050 रकबा 1.1700 हैक्टर, खसरा संख्या 1051 रकबा 0.20000 हैक्टर, खसरा संख्या 1053 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा संख्या 1054 रकबा 1. 0600 हैक्टर, खसरा संख्या 184 रकबा 1.2100 हैक्टर व खसरा संख्या 185 रकबा 1.4400 हैक्टर भूमि के उक्त खातेदारी में से रामेश्वर की मृत्यु हो जाने से उसका नाम हटाकर उसकी जगह वादी व प्रतिवादी 01 व 02 के नाम की घोषणा की जाती है। वाद में पेश नजरी नक्शे अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग–अलग खातेदारी घोषित की जाती है। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 11.08.2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:04:47 IST
Reason: SelfAttested

R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **237/2020** दायर दिनाँक **11.09.2020**

वादी		प्रतिवादीगण
1. विनोद कुमार पुत्र रामपाल जाति ब्राहाम्ण उम्र 48 वर्ष निवासी सुद्रासन तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. बनवारीलाल पुत्र रामपाल 2. सुनिल कुमार पुत्र ओंकारमल 3. अरूण कुमार दत्तक पुत्र पुरूषोतम 4. मदनलाल पुत्र महादेव 5. पवन पुत्र रामगोपाल 6. सम्पत कुमार रामगोपाल 7. बंकटलाल पुत्र रामगोपाल 8. शशि कुमार पुत्र रामगोपाल 9. मीना पुत्री रामगोपाल 10. शकुन्तला पत्नि रामगोपाल 11. ब्रजमोहन पुत्र मांगीलाल 12. ताराचन्द पुत्र मांगीलाल 13. जयप्रकाश पुत्र मांगीलाल समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 14. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88 R.T. Act.

दिनाँक **11.08.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी व श्री कमलेश कुमार वकील प्रतिवादी संख्या 01 ता 13 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा यह है कि मौजा सुद्रासन के खेत खसरा संख्या 1050 रकबा 1.1700 हैक्टर, खसरा संख्या 1051 रकबा 0.20000 हैक्टर, खसरा संख्या 1053 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा संख्या 1054 रकबा 1.0600 हैक्टर, खसरा संख्या 184 रकबा 1.2100 हैक्टर व खसरा संख्या 185 रकबा 1.4400 हैक्टर भूमि के उक्त खातेदारी में से रामेश्वर की मृत्यु हो जाने से उसका नाम हटाकर उसकी जगह वादी व प्रतिवादी 01 व 02 के नाम की घोषणा की जाती है। वाद में पेश नजरी नक्शे अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग–अलग खातेदारी घोषित की जाती है। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.......... [illegible] करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.08[illegible] के [illegible] इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:04:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:04:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner